भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3518

सोमवार, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 (शक)

कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2020

3518. डॉ. डी. एन. वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
डॉ सुभाष रामराव भामरे:
डॉ अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2020 को संशोधित और पुर:स्थापित किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान में ईपीएस के तहत नामांकित कर्मचारियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ईपीएस के तहत वितरित राशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार को ईपीएस, 1995 में उपयुक्त संशोधनों के लिए इसके दोषों के संबंध में विभिन्न श्रमिक समूहों से कोई अभ्यावेदन/शिकायतें मिली हैं और यदि हां, तो उक्त समस्या के संबंध में की गई सुधरात्मक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने तथा पेंशन के संराशीकृत मूल्य की बहाली के संबंध में कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 में संशोधनों के मुद्दे के साथ-साथ मांगे उठाने वाले कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के व्यक्तिगत पेंशनधारियों के साथ-साथ विभिन्न पेंशनधारी संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

सरकार ने, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पेंशनधारियों की मांगों पर विचार करते हुए, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा हेतु उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति गठित की थी। समिति की सिफारिश के आधार पर, सरकार ने दिनांक 20.02.2020 की अधिसूचना सा.का.नि. सं. 132 (अ.) के माध्यम से 25 सितम्बर, 2008 को या इससे पहले इस योजना के पूर्वगत पैराग्राफ 12क के अंतर्गत पेंशन के संराशीकरण का लाभ उठाने वाले सदस्यों के संबंध में ऐसे संराशीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष पूरे होने के बाद सामान्य पेंशन बहाल करने का निर्णय अधिसूचित किया है।

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत नामांकित कर्मचारियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार वर्तमान ब्यौरा अनुबंध-I पर दिया गया है।

चालू वर्ष सहित पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत वितरित राशि का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार ब्यौरा अनुबंध-II पर दिया गया है।

** ******

अनुबंध I

कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2020 के संबंध में डॉ. डीएनवी सेंथिलकुमार एस. श्री कुलदीप राय शर्मा, डॉ सुभाष रामराव भामरे, डॉ अमोल रामसिंह कोल्हे, श्रीमती सुप्रिया सुले और श्री श्रीनिवास पाटील द्वारा पूछे गए दिनांक 16.03.2020 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3518 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

ईपीएस, 1995 के अंतर्गत नामांकित कर्मचारियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा		
क्र.सं.	**राज्य /संघ राज्य क्षेत्र**	**ईपीएस, 1995 के सदस्यों की संख्या**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	46099
2	आंध्र प्रदेश	4894239
3	अरुणाचल प्रदेश	34262
4	असम	1002369
5	बिहार	1810148
6	चंडीगढ़	2773032
7	छत्तीसगढ	2120580
8	दिल्ली	19340659
9	गोवा	1555143
10	गुजरात	18925544
11	हरियाणा	18840638
12	हिमाचल प्रदेश	1779268
13	झारखंड	2438508
14	कर्नाटक	28574372
15	केरल	3608629
16	मध्य प्रदेश	5579539
17	महाराष्ट्र	48542645
18	मणिपुर	40695
19	मेघालय	120929
20	मिजोरम	10007
21	नागालैंड	24928
22	ओडिशा	3533218
23	पंजाब	4314283
24	राजस्थान	6251397
25	तमिलनाडु	28826389
26	तेलंगाना	13444683
27	त्रिपुरा	106403
28	उत्तर प्रदेश	11330944
29	उत्तराखंड	3746454
30	पश्चिम बंगाल	10469959

अनुबंध II

कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2020 के संबंध में डॉ. डीएनवी सेंथिलकुमार एस., श्री कुलदीप राय शर्मा, डॉ सुभाष रामराव भामरे, डॉ अमोल रामसिंह कोल्हे, श्रीमती सुप्रिया सुले और श्री श्रीनिवास पाटील द्वारा पूछे गए दिनांक 16.03.2020 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3518 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

ईपीएस, 1995 के अंतर्गत वितरित धनराशि (रूपयों में) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा				
क्र.सं.	**राज्य /संघ राज्य क्षेत्र**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	61497107	62773604	70272071
2	आंध्र प्रदेश	1820048399	1837166781	1765949928
3	अरुणाचल प्रदेश	10866361	14758448	14173636
4	असम	773713407	932873353	880834211
5	बिहार	1653339800	1857398598	1673833899
6	चंडीगढ़	1614396700	2221443125	1841556167
7	छत्तीसगढ	1902541161	2030108245	2028321738
8	दिल्ली	4444734231	5376402712	5065776244
9	गोवा	752720855	778092415	671802182
10	गुजरात	3799861328	3866846976	3711775330
11	हरियाणा	2946290168	2980933921	2643033792
12	हिमाचल प्रदेश	1213953849	1263977324	1177646186
13	झारखंड	1745556434	1820142321	1759222457
14	कर्नाटक	4351034413	3917371170	3446372700
15	केरल	2934012504	3308418201	3250966339
16	मध्य प्रदेश	1552510160	1745126898	1536409360
17	महाराष्ट्र	7314959982	6119175248	4860107122
18	मणिपुर	28115037	40466950	36423753
19	मेघालय	88095948	102186527	90112183
20	मिजोरम	6627577	7585301	7449618
21	नागालैंड	22956418	28794944	29193288
22	ओडिशा	1996070775	2198978751	2296623899
23	पंजाब	1135648802	1214518583	1234162850
24	राजस्थान	1951157372	2406231827	2087827011
25	तमिलनाडु	4810558218	4597522638	3885314268
26	तेलंगाना	4327407810	4416820213	3745388028
27	त्रिपुरा	151352846	164311264	179142181
28	उत्तर प्रदेश	1697131570	1878477447	1785924637
29	उत्तराखंड	1287535813	1197591602	1179233249
30	पश्चिम बंगाल	2902303074	2906927989	3074741443

******